न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
नगरपालिका अपील सं0 10/2022
जबर सिंह बनाम नगरपालिका मण्डल भीनमाल

दिनांक 24.08.2022

पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित,जिन्हें क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अपील के तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार हैः—

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 73(ख)(4) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (संशोधित अधिनियम, 2021) के तहत नगर पालिका मण्डल भीनमाल (जालोर) की एम्पावर्ड समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 08.04.2022 में लिए गये निर्णय एवं उसकी पालना में पारित आदेश क्रमांक 332 दिनांक 12.04.2022 द्वारा श्री जबर सिंह पुत्र तुलस सिंह को आदेश में उल्लेखित भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 451 दिनांक 24.2.22 (प्लॉट नं. 337 व 338) निरस्त करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील दर्ज की जाकर, रेस्पो0 के सम्मन जारी किए गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिश अहमद ने अपना वकालतनामा पेश कर सुनवाई का क्षेत्राधिकार बाबत प्रारम्भिक आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गई। उक्त आपत्ति के संलग्न निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)(नियम)/डीएलबी/22/9748 दिनांक 09.05.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज होने के बाद रेकर्ड तलबी/तामिली में चल रहा थी। अधीनस्थ कार्यालय का रेकर्ड अप्राप्त है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के क्रम में क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर आज दिनांक 24.08.2022 को सुनवाई की गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता द्वारा मुख्यरूप से यह निवेदन किया गया कि उक्त अपील नगर पालिका भीनमाल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.4.22 व 12.4.22 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 09.04.2022 को ही प्रस्तुत कर दी गई थी, जबकि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 को जारी हुई है। अतः विधि द्वारा पूर्व स्थापित व्यवस्था के तहत उक्त अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार में है।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि अधिसूचना दिनांक 9.5.22 के द्वारा ''राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73–बी की उप धारा (1) के तहत नगरपालिका द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उप धारा (4) के अन्तर्गत दायर अपीलों को सुनने एंवं निर्णित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलों में पारित निर्णय का अनुमोदन शासन सचिव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः अब इस मामले में न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई की जाना विधिसम्मत नही हैं।

हमने पत्रावली एवं निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 का अध्ययन किया, जिसके आधार पर चूंकि इस मामले में पूर्व में सुनवाई नही हुई है। इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 के नवीन प्रावधानों के तहत यह अपील प्राधिकृत अधिकारी–निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर के सुनवाई क्षेत्राधिकार की है। तदनुसार यह अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकारमें नही होने से मूल ही वकील अपीलांट को सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु लौटायी जाती है। उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने की दिनांक से निर्णय दिनांक तक मियाद शुमार की जावे। पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/22

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
जोधपुर